

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
संचिका सं०-०१/ विविध-०८-२५/२०

प्रेषक,

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार।

सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार।

पटना, दिनांक.....

विषय— कोरोना वायरस के संक्रमण के पर रोक लगाने हेतु आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु विभागीय आदेश संख्या २०४२ दिनांक २१.०३.२०२० द्वारा सार्वजनिक परिवहन पर रोक लगा दिया गया है।

अतः सार्वजनिक परिवहन के प्रतिबंध संबंधित विभागीय आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु व्यक्तिगत जिम्मेवारी जिला परिवहन पदाधिकारी की होगी। निदेश दिया जाता है कि सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, अपने संबंधित जिलाधिकारी के निदेशानुसार कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

ह०/-

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक.....२०७७

दिनांक.....२५/३/२०२०

प्रतिलिपि— सभी जिलाधिकारी, बिहार/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार बिहार/सचिव, परिवहन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
संचिका सं०-०१/ विविध-०८-२५/२० २०१७

प्रेषक,

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार।

सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार।

२५/३/२०२०
पटना, दिनांक.....

विषय— कोरोना वायरस के संक्रमण के पर रोक लगाने हेतु आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु विभागीय आदेश संख्या २०४२ दिनांक २१.०३.२०२० द्वारा सार्वजनिक परिवहन पर रोक लगा दिया गया है।

अतः सार्वजनिक परिवहन के प्रतिबंध संबंधित विभागीय आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु व्यक्तिगत जिम्मेवारी जिला परिवहन पदाधिकारी की होगी। निदेश दिया जाता है कि सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, अपने संबंधित जिलाधिकारी के निदेशानुसार कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन


२५/३/२०
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।